मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों के साथ दिनांक 03/02/2025 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--००--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 03/02/2025 को प्रातः 11:30 बजे मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में समय सीमा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निम्नानुसार चर्चा की गई:-

(01) स एवं द वर्ग की कृषि उपज मंडी समितियों को ई-मंडी बनाने की कार्यवाही:-

1. 01 जनवरी 2025 से ब-वर्ग की कृषि उपज मंडी समितियों में ई मंडी की प्रक्रिया शुरू कराई जाकर ई-मंडी योजना लागू की गई है। 01 अप्रैल 2025 से प्रदेश की संपूर्ण कृषि उपज मंडी समितियों में ई-मंडी योजना लागू की जाना है। अतः प्रदेश की स एवं द वर्ग की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में ई-मंडी लागू करने की तैयारी के संबंध में समीक्षा की गई।
2. 'स' व 'द' वर्ग की मण्डियों के सचिव आवश्यक पीओएस (POS) मशीन, थर्मल प्रिंटर आदि की आवश्यकता का आंकलन कर भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर अपने आंचलिक अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. 'स' एवं 'द' वर्ग की समस्त मण्डियों को ई-मण्डी योजना का यूजर मैन्युअल उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका सचिव अवलोकन एवं अध्ययन कर अपने मण्डी अमले के साथ किया जावे।
4. 'स' एवं 'द' वर्ग की समस्त मण्डियों के सचिव अपनी मण्डी में आने वाले कृषकों, व्यापारियों एवं हम्माल तुलावटियों के साथ मीटिंग कर उन्हें 01.04.2025 से ई-मण्डी

योजना का क्रियान्वयन किए जाने की जानकारी दी जावे एवं मण्डी में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

5. समस्त आंचलिक प्रभारी अधिकारी, कार्यपालन यंत्री के साथ ई-मण्डी योजना के संदर्भ में अपने संभाग की सभी 'स' एवं 'द' वर्ग की मण्डियों का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर प्रतिवेदन मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें।

6. समस्त तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री अपने संभाग की मण्डियों के सिविल कार्यों का परीक्षण कर आवश्कयतानुसार निर्माण कार्य कराए जाने हेतु प्रस्ताव अधीक्षण यंत्री, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7. 'स' एवं 'द' वर्ग की जिन मण्डियों में प्रवेश द्वार नहीं है, वहां अधीक्षण यंत्री आवश्यक प्रस्ताव संबंधित कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री से मंगवाकर परीक्षण कर निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

8. 'स' एवं 'द' वर्ग की मण्डी समितियों में ई-मण्डी योजना प्रभावशील किए जाने के संबंध में मण्डी बोर्ड, मुख्यालय स्तर से प्रशिक्षण कराए जाने की कार्यवाही की जावे। 'स' एवं 'द' वर्ग के मण्डी सचिव प्रशिक्षण में अपने साथ कम्प्यूटर कार्य में दक्ष एक कर्मचारी को साथ लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(02) <u>लंबित वेतन एवं पेंशन भुगतान:-</u>

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को देय मासिक वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन का भुगतान नियमित रूप से नहीं हो रहा है। आंचलिक अधिकारी अपने संभाग अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर मण्डियों में मासिक वेतन, पेंशन आदि भुगतान का आंकलन कर मण्डियों की सूची तैयार कर अपर संचालक(वित्त) को भेजे। अपर संचालक(वित्त) वेतन भत्ते एवं पेंशन का नियमित भुगतान संबंधित कर्मचारियों को हो, की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(03) <u>अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही</u> :-

प्राय: देखा जा रहा है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसे हटाए जाने के लिए पूर्व में समय-समय पर आंचलिक अधिकारियों/जिला कलेक्टर्स एवं मण्डी सचिवों को निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके

Scanned with CamScanner

संदर्भ में विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाए जाने की प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।

(04) <u>बायोमैट्रिक मशीन :-</u>

सभी मण्डियों में पदस्थ सुरक्षाकर्मी, मण्डी कर्मचारियों एवं मण्डी सचिव को अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज की जाना है। समस्त आंचलिक अधिकारी अपने संभाग के मण्डी सचिवों से प्रारूप बनवा लीजिए कि प्रमाणित किया जाता है कि बायोमेट्रिक मशीन समस्त मण्डियों में लगा दी गई है एवं उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से दर्ज की जा रही, को प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(05) <u>आउटसोर्स प्रणाली :-</u>

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय, तकनीकी संभाग तथा कृषि उपज मण्डी समितियों में अस्थाई व आकस्मिक प्रकृति के कार्यो के लिए आउटसोर्स प्रणाली का निर्धारण किया गया है। विभिन्न स्तर के पदों को आवश्यकता अनुसार मानव संसाधन (आउससोर्स) अधीकृत एजेंसी के माध्यम से रखने की कार्यवाही की जावे। 'अ' एवं 'ब' वर्ग की मण्डियों में अधिकतम कितने आउटसोर्स कर्मचारी रखे जा सकते हैं, मण्डी में स्वीकृत सेटअप अनुसार कितने पद भरे हैं, कितने पद रिक्त हैं, आवश्यकता के अनुरूप निर्धारण मुख्यालय स्तर से किये जाने के निर्देश दिए गए।

(06) <u>सीएम हेल्पलाइन</u>-

सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर एल-1, एल-2, एल-3 एवं एल-4 स्तर पर दर्ज शिकायतों का तत्परता से निराकरण कर शिकायतों को निराकरण स्तर के अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् पोर्टल से फोर्स क्लोज/बन्द करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(07) आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने संभाग की मण्डी समितियों में मण्डी प्रांगणों/उपमण्डी प्रांगणों के बाहर कृषि उपजों का विक्रय नियमों के प्रतिकूल न हो। संबंधित अनुज्ञसिधारी व्यापारियों से मण्डी प्रांगणों/उपमण्डी प्रांगणों के अन्दर ही कृषि उपज का क्रय-विक्रय सुनिश्चित करावें। मण्डी प्रांगणों/उपमण्डी प्रांगणों के बाहर व्यापारियों द्वारा कृषि उपज का क्रय-विक्रय किया जाकर मण्डी शुल्क के अपवंचन की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित मण्डी सचिव एवं संभाग के आंचलिक अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

Scanned with CamScanner

(08) न्यायालयीन प्रकरण :-

माननीय उच्च न्यायालय में मण्डी बोर्ड/मण्डी समिति के लंबित/ विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरण एवं अवमानना प्रकरण के संबंध में कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक-47 दिनांक 21.01.2025 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए न्यायालयीन कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(09) लंबित आश्वासन:-

मण्डी बोर्ड संभागीय कार्यालय अंतर्गत मण्डियों के वर्षों से लंबित आश्वासनों का निराकरण किए जाने हेतु व्यक्तिगत रूचि लेकर समयसीमा में निराकरण कराए जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाकर आश्वासनों के पृथक-पृथक निराकरण प्रतिवेदन समयसीमा में मुख्यालय को प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(10) एग्रीमाल की स्थापना हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारण इन्दौर को ½ एकड़ से 1.00 एकड़ तक उपयुक्त भूमि लेने हेतु अर्द्ध शासकीय पत्र जारी किया जावे। प्रतिलिपि आंचलिक अधिकारी, इंदौर एवं सचिव, मण्डी समिति इंदौर को भी दी जावे।

(11) FPO को लायसेंस प्रदाय:-

FPO को लायसेंस दिये जाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। अत: सभी मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया कि FPO को शीघ्र लायसेंस प्रदाय करें और लायसेंस न लेने की स्थिति में संबंधित FPO से कारण लिखित/मौखिक रूप से प्राप्त करें। समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिलों में संचालित कुल FPO की जानकारी प्राप्त करें एवं जिनके द्वारा लायसेंस न लिया जावे उनके कारण सहित सूची तैयार कर आगामी सोमवार तक मुख्यालय प्रेषित करें।

(12) बड़े तौल कांटों की स्थापना:-

प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में बड़े तौल कांटों की स्थापना के संबंध में किसान संघ द्वारा मांग की जा रही है। अत: मुख्यालय स्तर से दिनांक 26/06/2020 को जारी परिपत्र का पालन कराने के निर्देश दिए।

(13) शिकायत जांच प्रकरण- मुख्यालय/आंचलिक कार्यालयों एवं मण्डी स्तर की शिकायतों का निपटारा कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक-387 दिनांक 01/05/2023 का अनुसरण करते हुए समय-सीमा में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner

(14) विभागीय जांच प्रकरण:-

विभागीय जांच की कार्यवाही 03 माह में पूर्ण किए जाने निर्देश पूर्व में दिए गए हैं। परिलक्षित हुआ है कि कई प्रकरण वर्षों से लंबित हैं। अतः मुख्यालय स्तर पर समस्त लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रस्तुतकर्ता एवं जांचकर्ता अधिकारी को प्रकरण का निराकरण 02 माह की समय-सीमा में किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु उप संचालक(विभा.जांच) को निर्देश दिए गए।

समय-सीमा के प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा की गई एवं पूर्ण कार्यवाही वाले प्रकरणों को समय-सीमा पत्रों की सूची से विलोपित किया गया एवं ऐसे प्रकरण जिनमें कार्यवाही पूर्ण हो गई है, ऐसे प्रकरणों को विलोपित करने हेतु नस्ती प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समय-सीमा समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned with CamScanner

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/फरवरी/2025/2122 भोपाल, दिनांक07/02/2025

<u>प्रतिलिपि</u>:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।

2 अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

3 संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल ।

4 उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/सहायक यंत्री(समस्त)म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

5 संयुक्त संचालक/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय (समस्त)।

6 सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned with CamScanner